फा.सं. एफसी-11/61/2021-एफसी

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(वन संरक्षण प्रभाग)

इंदिरा पर्यावरण भवन,
अलीगंज, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 8 अक्तूबर, 2021

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव (वन)/प्रमुख सचिव (वन), सभी राज्य/संघ शासित राज्य
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सभी राज्य/संघ शासित राज्य
3. क्षेत्रीय अधिकारी, सभी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
4. सभी संबंधित

विषय: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए समय-अवधि के विस्तार के संबंध में।

श्रीमती/श्रीमान,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 02.10.2021 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लेने का निर्देश हुआ है जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में 15 दिन के भीतर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं (मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in/ www.moef.nic.in पर अपलोड किया गया है।)

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि टिप्पणियों को प्राप्त करने की समय अवधि को 15 दिनों के लिए और **(अर्थात् 01.11.2021 तक)** बढ़ा दिया जाए।

अत: सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे मंत्रालय की वेबासाइट (www.parivesh.nic.in/www.moef.nic.in) पर डाले गए परामर्श पत्र पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव, 01.11.2021 को या उससे पहले ईमेल से fca-amendment@gov.in पर प्रस्तुत करें। दिनांक 02.10.2021 के समसंख्यक पत्र को पूर्वोक्त सीमा हेतु संशोधित किया जाता है।

इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय
ह./-
(संदीप शर्मा)
सहायक वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि :

निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, को मंत्रालय की वेबसाइट पर पत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में

प्रस्तावित संशोधनों पर

परामर्श पत्र

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

भारत सरकार

इंदिरा पर्यावरण भवन

जोरबाग रोड, नई दिल्ली

अक्तूबर, 2021

क. पृष्ठभूमि

1. वन (संरक्षण) अधिनियम (इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में उल्लिखित) को दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को अधिनियमित और लागू किया गया था। अधिनियम की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य वनों के संरक्षण के लिए तथा उससे संबंधित या उसमें सहायक या उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में प्रावधान करना है। संसद के समक्ष विधेयक (विधेयक सं. 1980 का 201) प्रस्तुत करते समय इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का निम्नवत् विवरण किया गया था:

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

वनों की कटाई के कारण पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न होता है और उसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय ह्रास होता है। देश में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती रही है और उसके कारण बड़े आयाम में चिंता उत्पन्न हुई है।

2. वनों की और अधिक कटाई को रोकने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 अक्तूबर, 1980 को वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 प्रख्यापित किया गया था। उस अध्यादेश में आरक्षित वनों को आरक्षण श्रेणी से हटाने और वनभूमि का वनेतर प्रयोजनों से उपयोग करने के लिए केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन को आवश्यक बनाया गया था। उस अध्यादेश में, ऐसा अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में केंद्रीय सरकार को परामर्श देने हेतु एक सलाहकार समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया था।

3. इस विधेयक का उद्देश्य ऊपर उल्लिखित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है।

2. वर्ष 1988 में, इस अधिनियम को संशोधित किया गया था। वर्ष 1988 में किए गए संशोधन के पश्चात्, आज की तारीख में अधिनियम का रूप **अनुबंध** में दिया गया है।

3. दिनांक 12.12.1996 तक, सामान्य परिपाटी यह थी कि राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य स्थानीय कानून के तहत अधिसूचित वनों तथा वन विभाग के प्रबंधन नियंत्रण के अतंर्गत आने वाले वनों पर लागू किया जाता था। टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 202/1995 में दिनांक 12.12.1996 को पारित अपने निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अधिनियम के लागू होने के क्षेत्र को स्पष्ट किए जाने के पश्चात्, उस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित क्षेत्रों पर लागू हुए:

क. वे सभी क्षेत्र जो स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के बावजूद किसी भी सरकारी अभिलेख में 'वन' के रूप में अभिलिखित हैं। इसमें किसी भी कानून के अंतर्गत वन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र शामिल हैं;

ख. उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्र और जो 'वन' के 'शब्दकोश' अर्थ के अनुरूप हैं।

ग. वे सभी क्षेत्र जो उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश के अनुसरण में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा 'वन' के रूप में अभिज्ञात किए गए हैं, तदनुसार शपथपत्र वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए हैं।

राज्य सरकारों ने भी अधिनियम के प्रावधानों को विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्येक राज्य में 'वन' के रूप में अभिज्ञात किसी अन्य क्षेत्र पर तथा ऐसी भूमियों पर जिन्हें वन के शब्दकोश अर्थ के अंतर्गत शामिल किया गया था, लागू करना आरंभ कर दिया है। उपर्युक्त न्यायालय आदेश की व्याख्या यह मानने के लिए भी की गई थी कि यह अधिनियम वनेतर भमि में वृक्षारोपण पर लागू होता है।

4. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा किसी वन भूमि के पट्टे के अपवर्तन, अनारक्षण अथवा आबंटन से पहले केंद्र सरकार का पूर्वानुमोदन अनिवार्य है।

ख. परामर्श के लिए मुद्दे

1. वर्तमान संदर्भ में, सभी सरकारी वन-भूमियां (चाहे अधिसूचित हैं या नहीं) और क्षेत्र, जिन्हें किसी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में अभिलेखबद्ध किया गया है, इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि पेड़-पौधों से युक्त भूमियों को स्थानीय रूप से परिभाषित कुछ मानदण्डों के आधार पर वन माना जाता है, तो उन वनस्पति उत्पादक भूमियों पर भी, उनके स्वामित्व और वर्गीकरण पर विचार किए बिना, इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। ऐसी भूमि की पहचान कुछ हद तक आत्मनिष्ठ एवं यादृच्छिक है। इसके परिणामस्वरूप स्थिति की अस्पष्टता बनी रहती है और देखा गया है कि इसके कारण विशेष रूप से निजी व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा काफी आक्रोश और प्रतिरोध प्रकट किया गया है। किसी निजी क्षेत्र को वन के रूप में माने जाने पर, अपनी भूमि का किसी वनेतर कार्यकलाप के लिए उपयोग करने का किसी व्यक्ति का अधिकार सीमित हो जाता है। कई बार सरकार द्वारा भूमि के उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन पर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी विचार नहीं किया जाता है। यदि भूमि के उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो भी भूमि के स्वामी को अपनी ही भूमि का वनेतर प्रयोजन से उपयोग करने के उद्देश्य से समान क्षेत्रफल की गैर-वनभूमि उपलब्ध करानी पड़ती है और अन्य प्रतिपूरक कर चुकाना पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि निजी भूमियों पर पौधारोपण कार्यकलापों की संभावना रहने के बावजूद भी उस भूमि को पेड़-

पौधों से रहित रखने की प्रवृत्ति और बढ़ रही है। इस दृष्टि से, किसी वस्तुनिष्ठ तरीके में अधिनियम के अनुप्रयोग के दायरे को परिभाषित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

2. रेलवे, राजमार्गों इत्यादि के मार्ग-अधिकार (आरओडब्ल्यू) पर अधिनियम की अनुप्रयोज्यता के दायरे की व्याख्या करने के लिए रेल मंत्रालय, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इत्यादि में तीव्र आक्रोश है। अधिकतर मामलों में, इन मार्गों के अधिकारों के बारे में दावा किया जाता है कि इन्हें 1980 से बहुत पहले इन विकासात्मक संगठनों द्वारा औपचारिक रूप से अधिगृहीत कर लिया गया था, जिसका एक विशेष उद्देश्य रेल लाइन तथा सड़कों का निर्माण/स्थापना करना था। 1980 से पूर्व प्राप्त भूमि के कुछ हिस्से का उपयोग (इस उद्देश्य के लिए) कर लिया गया था तथा अधिगृहीत भूमि के शेष हिस्से को भविष्य निर्माण/विस्तार के लिए छोड़ा गया। 1980 से पूर्व ऐसी बची हुई अधिकृत भूमि को मौजूदा पेड़ अथवा वनों के लिए छोड़ा गया और इसके अलावा खाली क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत रोपण किया गया। कुछ मामलों में, अधिगृहीत भूमि पर ऐसे वृक्षारोपण के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, ये क्षेत्र संरक्षित वनों के रूप में अधिसूचित किए गए। इस अधिनियम के अधिनियमन के साथ और आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुप्रयोज्यता के दायरे पर स्पष्टीकरण देने के परिणामस्वरूप ऐसी सभी भूमि के गैर-वनीकरण उपयोग के लिए भारत सरकार की पूर्व अनुमति जरूरी है। इस प्रकार, भूमिधारक एजेंसी (रेल, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी इत्यादि) के लिए अधिनियम के तहत अनुमोदन कर लेने के साथ-साथ ऐसी भूमि के उपयोग के लिए निर्धारित प्रतिपूरक कर जैसे कि सकल वर्तमान मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) इत्यादि का भुगतान करना अपेक्षित है जो मूल रूप से गैर-वनीकरण उद्देश्यों के लिए अधिगृहीत की गई थी। मंत्रालय अब अधिनियम के दायरे से दिनांक 25.10.1980 से पूर्व ऐसी अधिगृहीत भूमि पर छूट देने पर विचार कर रहा है।

3. (i) यह भी एक तथ्य है कि भारत काफी हद तक एक उष्णकटिबंधीय देश है, और ऐसी भूमि में वनस्पतियों की स्वत:स्फूर्त जंगली वृद्धि होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जिसे यदि अपने आप छोड़ दिया जाए तो समय के साथ वनस्पति जैसे वन विकसित हो जाएगें, ऐसी अनदेखी भूमि को शब्दकोश के अर्थ के अनुसार मानित वन श्रेणी के अधीन माना जाएगा। ऐसी भूमि लगातार अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करती रहेगी। इसलिए सामान्यत: लोगों में अपनी भूमि पर वनस्पति की तरह उगने वाले पेड़ों को रोकने की प्रवृत्ति होती है।

(ii) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के एक-तिहाई क्षेत्र को वन एवं वृक्षावरण के अंतर्गत लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वृक्षारोपण करने की अपेक्षित गति संतोषजनक नहीं है। वर्तमान में देश में वन तथा वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.56% है और वनावरण को बढ़ाने के लिए एक व्यावहारिक सीमाएं हैं। इसलिए, निजी स्वामित्व के तहत भूमि सहित और अधिक गैर- वनभूमि को पारिस्थितिकी, आर्थिक तथा पर्यावरणीय हितों के लिए वृक्षावरण के अधीन लाने की आवश्यकता है।

(iii) इसके अलावा, देश के लिए वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3.0 बिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड (CO_2) के बराबर कार्बन सिंक बनाने के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य पर विचार करते हुए, और लगभग 45 हजार करोड़ रुपए की लागत से लकड़ी व लकड़ी व्युत्पन्न के आयात के लिए विदेशी विनिमय के प्रवाह को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकारी वनों के बाहर सभी संभव उपलब्ध भूमि में व्यापक वृक्षारोपण तथा वनीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन इसे सुनिश्चित करने के लिए, पेड़ उगाने वालों के बीच इस डर को दूर करने की जरूरत है कि उनकी निजी/गैर-वनभूमि पर उगाई जाने वाली वनस्पति या वृक्षारोपण अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।

4. भारत में वनों के विभिन्न भू अभिलेख हैं। अनेक बार राजस्व तथा वन अभिलेखों में भी एक ही भूमि के लिए अलग-अलग प्रविष्टियां होती हैं। इससे गलत व्याख्या और मुकदमेंबाजी़ का दायरा बढ़ता है। इसलिए, उन पर अधिनियम की अनुप्रयोज्यता सहित इन शर्तों की स्पष्टता की भी आवश्यकता है। राजस्व अभिलेखों में कानूनी रूप से कब्जाधारी और वन सहित भूमि की प्रकृति को दर्शाना होता है। यह दृढ़ता से महसूस किया जाता है कि वानिकी गतिविधियों (कृषि वानिकी और अन्य वृक्षारोपण प्रणालियों सहित) को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 12.12.1996 के पश्चात किसी भी गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण, वनारोपण इत्यादि के राजस्व अभिलेख में यह रिकार्डिंग अधिनियम के दायरे से बाहर रखी जाए।

5. अनेक सड़कों और रेलवे लाइनों के पास, पट्टी वृक्षारोपण विकसित किए गए हैं और वनों के रूप में अधिसूचित किए गए हैं। काफी क्षेत्रों में ऐसी भूमि के साथ-साथ सड़क/रेल किनारे सुविधाएं/बस्तियां विकसित की गई हैं। इन सुविधाओं (निजी और सरकारी दोनों) के लिए पहुंच (पहुंच सड़क/रेल) की आवश्यकता होती है और जो हमेशा सड़क/रेल लाइन के साथ-साथ अधिसूचित वन क्षेत्र की पट्टी से गुजरती है। चूंकि यह गतिविधि वनभूमि का गैर-वानिकी उपयोग है, इसलिए इन्हें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मामले में वनभूमि की आवश्यकता लगभग 0.05 हेक्टेयर है। मंत्रालय का मत है कि निवासियों/व्यवसाय मालिकों की कठिनाई को कम करने के लिए ऐसी प्रत्येक पहुंच के लिए 0.05 हेक्टेयर तक की छूट दी जा सकती है।

6. इस अधिनियम के वर्तमान उपबंध विनियामक हैं और निषेधात्मक नहीं है और इसलिए कतिपय क्षेत्रों, जिनके लिए उनकी अद्वितीयता और उच्च भू-दृश्य के अखंड महत्व के कारण उच्चतर दर्जे की सुरक्षा अपेक्षित होती है, के गैर-वानिकी उपयोग को निषिद्ध करने के लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है। इसके अलावा, इस अधिनियम के लागू होने के बाद से 40 से अधिक वर्षों की मध्यवर्ती अवधि के दौरान पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय प्रणालियों में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में बदलते पारिस्थितिकीय, सामाजिक और आर्थिक परिवेश से निपटने के लिए विश्व भर में रूपान्तरकारी परिवर्तन देखा गया है। ऐसे गतिशील

परिवर्तनों का निराकरण करने के क्रम में, यह मंत्रालय किसी विशिष्ट अवधि के लिए अक्षत समृद्ध पारिस्थितिकीय महत्व दर्शाने वाले कतिपय प्राचीन वनों को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम में एक समर्थकारी उपबंध शुरू करने पर विचार कर रहा है।

7. अपनी सीमाओं को अक्षत रखने और देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ अवसंरचना का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वन भूमि के गैर-वानिकी उपयोग हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कई बार राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं में विलंब हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐसी अवसंरचना का विकास बाधित होता है। क्या ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिनियम के उपबंध के अंतर्गत केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने से छूट दी जानी चाहिए और राज्यों को ऐसी रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं, जिन्हें किसी नियत समयावधि में पूर्ण किया जाना होता है, के कार्यान्वयन हेतु वन भूमि के वनेतर उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।

8. यह भी नोट किया गया कि खनन पट्टों के मामले में इस अधिनियम की उप-धारा 2 (ii) और 2 (iii) के अनुप्रयोग एक साथ कई मामलों में भ्रम पैदा करते हैं। उप-धारा 2 (iii) में पट्टे के समनुदेशन हेतु उपबंध किया गया है, जबकि उप-धारा 2 (ii) में गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु उपबंध किया गया है। उप-धारा 2 (iii) के अंतर्गत अनुमति के लिए वर्तमान उपबंध के अनुसार, वन भूमि का केवल एनपीवी देय होता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी अनुमति पर विचार करने की प्रक्रिया के दौरान सम्यक तत्परता की बहुत कम गुंजाइश है। जबकि, उप-धारा 2 (ii) के तहत अनुमति प्रदान करने के लिए नियमों/दिशानिर्देशों में विहित निर्णय समर्थन प्रणाली और विभिन्न कार्य पद्धतियों का उपयोग करते हुए तथा कुछ न्यायिक आदेशों के अनुसरण में बहुत विस्तृत जांच प्रक्रिया अपनायी जाती है। वनों के एनपीवी के अलावा, प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) धनराशि, सीए भूमि, सुरक्षा जोन पौधरोपण, आदि जैसी अन्य प्रतिपूरक उगाहियां देय होती हैं। इस प्रकार, एक खनन पट्टाधारक को उप-धारा 2 (iii) के तहत अनुमति लेनी होगी और मात्र एनपीवी राशि का भुगतान करके वन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से का स्वामित्व प्राप्त करेगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या उप-धारा 2 (iii) के तहत ऐसी अनुमति को 'वन स्वीकृति' समझा जाएगा या नहीं तथा ऐसे मामलों, जिनमें उप-धारा 2 (iii) के तहत अनुमति ली गई है लेकिन उप-धारा 2 (ii) के तहत पट्टे के लिए आवेदन तक नहीं किया है, में निष्पन्न कार्य की स्थिति को टालने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 'पर्यावरण स्वीकृति' अनुज्ञेय होगी। मूलत: उप-धारा 2(iii) से आशय पौधरोपण जैसे उद्देश्य (जहां भूमि का विभंजन करना या उसकी सफाई करना उद्देश्य न हो) से संबंधित पट्टे पर देने के लिए लागू किए जाने के लिए था और न कि खनन पट्टे जैसे अन्य पट्टों के लिए जिसका उद्देश्य वन भूमि का विभंजन या उसकी सफाई करना था। बाद में, उप-धारा 2(iii) को खनन और अन्य प्रकार के पट्टों के लिए भी लागू करना शुरू कर दिया गया था। इसलिए, इस अधिनियम की

उप-धारा 2(iii) को खत्म कर देने का प्रस्ताव किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-धारा 2(ii) को गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के उद्देश्य वाले किसी भी प्रकार के पट्टा संबंधी सौंपे गए कार्य के लिए लागू किया जा सकता है।

9. एक्सटेंडिड रीच ड्रिलिंग (ईआरडी) जैसी नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, जो न केवल वन भूमि के गहरे नीचे पाए जाने वाले तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण या निष्कर्षण करने में समर्थ हैं, बल्कि वन भूमि में वनों का भरण-पोषण करने वाले मृदा या जलभर को प्रभावित किए बिना वन क्षेत्रों के बाहर से गड्ढे खोदकर यह कार्य कर रही हैं। मंत्रालय का यह विचार है कि ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पर्यावरण के काफी अनुकूल है और इसे अधिनियम की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए।

10. निजी व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए जिनकी भूमि राज्य विशिष्ट निजी वन अधिनियम के अंतर्गत आती हैं या उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 के संदर्भ में वन के शाब्दिक अर्थ की परिधि में आती हैं और तदनुसार, जहां वन संरक्षण अधिनियम लागू है, यह प्रस्तावित है कि ऐसे मालिकों को 250 वर्ग मीटर तक के एक बारगी छूट और वन सुरक्षा उपायों सहित क्षेत्र में आवासीय इकाई की वास्तविक उद्देश्यों के लिए संरचना के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

11. इस अधिनियम की धारा 2 में 'गैर-वानिकी उपयोग' के स्पष्टीकरण का खंड ऐसे कार्यकलापों की पहचान करता है जिन्हें गैर-वानिकी कार्यकलाप के रूप में माना जाएगा और जो इस धारा के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। यह समझा गया है कि जो कार्यकलाप वन संरक्षण और वन्यजीवों के लिए अनुषंगी हैं, उन्हें गैर-वानिकी कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाए। तदनुसार, यह प्रस्तावित किया गया कि इस अधिनियम की धारा 2(ii) के उद्देश्य के लिए चिड़ियाघर, सफारी, वन प्रशिक्षण अवसंरचना आदि को स्थापित करना ''गैर-वानिकी कार्यकलाप'' के अर्थ में नहीं आने चाहिए।

12. प्रतिपूरक उगाही लगाना अनिवार्य है ताकि समय आने पर गैर-वानिकी प्रयोजनों के उपयोग के लिए अनुमत भूमि के प्रयोग के बाद, वन भूमि और इसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली पारि-प्रणाली सेवाओं को उपयुक्त बनाया जा सके। यह महसूस किया गया है कि किसी भी कर को जैसे कि उसी उद्देश्य के लिए पट्टे के नवीकरण के समय दो बार लगाना तर्कसंगत नहीं है।

13. कानून में स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान होने के बावजूद, अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन की घटनाएं हो रही हैं। मंत्रालय का यह विचार है कि कानून के अंतर्गत अपराधों को आगे और हतोत्साहित करने के लिए सज़ा को और सख्त बनाया जाए। इस संबंध में, धारा 2 के अंतर्गत अपराधों को अब एक अवधि, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए सामान्य कारावास सहित दंडनीय बनाए जाने का प्रस्ताव है और यह अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध होगा। पहले से किए गए नुकसानों की पूर्ति के लिए धारा 3क के अंतर्गत सज़ा के अलावा, दंडात्मक मुआवज़े हेतु प्रावधान करने का भी प्रस्ताव

किया गया है। साथ ही, यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन में कोई प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत अपराध में शामिल है, तब दंडात्मक मुआवज़े के रूप में प्राप्त की जाने वाली धनराशि को राज्य सीएएमपीए के बजाय राष्ट्रीय सीएएमपीए में जमा किया जाएगा।

14. सर्वेक्षण और जांच कार्य-कलाप, वन भूमि पर वास्तविक वनेतर कार्य-कलापों पर विचार करने अथवा प्रस्ताव करने से पहले की प्रकियाएं हैं। ऐसे कई कार्य-कलापों में, वन भूमि का उपयोग बहुत कम समय के लिए किया जाता है और वन भूमि अथवा वहां की जैव-विविधता में भी कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन, चूंकि ऐसे कार्य-कलापों को वनेतर कार्य-कलाप माना जाता है, इसलिए औपचारिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति मांगी जाती है, जिसमें वास्तव में बहुत समय लगता है। इसके समाधान के लिए, विशेष रूप से ऐसे कार्य-कलापों में जहां उनका प्रत्यक्ष प्रभाव न होता हो, अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं।

यदि इस परामर्श पत्र के किसी भी भाग में हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में दी गई व्याख्या में कोई अंतर पाया जाता है तो अंग्रेजी संस्करण में दी गई व्याख्या मूल होने के कारण मान्य होगी ।

अनुबंध

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
(वर्ष 1988 में किए गए संशोधनों सहित)

वनों के संरक्षण के लिए और उससे जुड़े मामलों अथवा सहायक अथवा साथ ही प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार-क्षेत्र और प्रारभ

(1) इस अधिनियम को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 कहा जा सकता है।
(2) इसका विस्तार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में होगा।
(3) इसे 25 अक्तूबर, 1980 से लागू हुआ माना जाएगा।

2. वनों को आरक्षित वनों की सूची से हटाने या वन भूमि का वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध

किसी राज्य में वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य कानून में किसी बात के समाविष्ट रहते हुए भी, किसी राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से पारित आदेश को छोड़कर, यह निर्देश देते हुए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा -

i. कि कोई आरक्षित वन (उस राज्य में वर्तमान में प्रभावी किसी कानून में "आरक्षित वन" अभिव्यक्ति के अभिप्राय के अंतर्गत) या उसका कोई हिस्सा अब आरक्षित नहीं रहेगा;

ii. कि किसी वन भूमि या उसके किसी हिस्से का उपयोग किसी वनेतर प्रयोजन के लिए किया जा सकता है;

iii. कि किसी वन भूमि को या उसके किसी हिस्से को पट्टे के माध्यम से या अन्यथा किसी निजी व्यक्ति को या ऐसे किसी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व में, उसके द्वारा प्रबंधित या नियंत्रित नहीं है, प्रदान किया जा सकता है;

iv. कि किसी वन भूमि या उसके किसी हिस्से से उन पेड़ों को, जो उस भूमि या उसके किसी हिस्से पर प्राकृतिक रूप से उगे हैं, इस प्रयोजन से काटा जा सकता है कि वहां पुनर्वनीकरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन से, ''वनेतर प्रयोजन'' का अभिप्राय है निम्नलिखित के लिए किसी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को तोड़ना या पेड़ों को काटकर उसे साफ करना -

क. चाय, कॉफी, मसाले, रबड़, ताड़, तेल उत्पादक पौधों, बागवानी संबंधी फसलों या औषधीय पौधों की खेती;

ख. पुनर्वनीकरण के अलावा अन्य प्रयोजन;

किन्तु वनों और वन्यजीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित या उसमें सहायक कोई कार्य, अर्थात् जांच चौकियों, दावानल रेखाओं, वायरलेस संचार की स्थापना और बाड़, पुलों और पुलियों, बांधों, जलकूपों, खाई रेखाओं, सीमा रेखाओं, पाइप लाइनों के निर्माण या इस प्रकार के अन्य प्रयोजनों से किया गया कार्य, शामिल नहीं है।

3. सलाहकार समिति का गठन -

केंद्रीय सरकार उतने व्यक्तियों को शामिल करके, जितना वह उचित समझे, निम्नलिखित के संबंध में सरकार को परामर्श देने के लिए एक समिति गठित कर सकती है

i. धारा 2 के तहत अनुमोदन प्रदान करना; और
ii. वनों के संरक्षण से संबंधित कोई अन्य मामले जिसे केंद्र सरकार द्वारा उसके पास अग्रेषित किया जाए।

3क. अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना-

जो कोई धारा 2 के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे सामान्य अवधि, जिसे पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, के कारावास की सजा दी जाएगी।

3ख. प्राधिकरणों और सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध-

1) जहां इस अधिनियम के तहत-
   (क) किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो उस विभाग के प्रमुख को; अथवा
   (ख) किसी प्राधिकरण द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो अपराध किए जाने के समय प्रत्यक्ष रूप से प्राधिकरण के कार्य संचालन का और प्राधिकरण का प्रभारी था और उत्तरदायी था;

उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उसके विरूद्ध मुकद्दमा दायर किया जाएगा तथा उसे तदनुसार दण्डित किया जाएगा:

परंतु, इस उप-धारा में समाविष्ट किसी बात से, खंड (ख) में उल्लखित विभाग के प्रमुख या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाएगा यदि वह सिद्ध करे कि उसे किए गए अपराध

की जानकारी नहीं थी अथवा यह कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था।

2) उप-धारा (1) में किसी बात के समाविष्ट होते हुए भी, जहां उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी सरकारी विभाग अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपराध विभाग के प्रमुख को छोड़कर किसी अधिकारी की सहमति से या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही के कारण हुआ है, या किसी प्राधिकरण के मामले में, उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो ऐसे अधिकारी या व्यक्तियों को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके/उनके विरूद्ध मुकद्दमा दायर किया जाएगा और उसे/उन्हें तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

4. नियम बनाने की शक्ति-

1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकती है।

2) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को, उसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के सत्र में होने के समय संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र में या दो सत्रों में या दो से अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी हो सकती है, प्रस्तुत किया जाएगा और यदि ऊपर उल्लिखित सत्र या उत्तरोत्तर सत्रों के तुरंत बाद सत्र की समाप्ति से पहले दोनों सदन उस नियम में किसी प्रकार का संशोधन लाने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि उस नियम को नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तदुपरांत वह नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जो भी स्थिति हो; जिससे कि ऐसे किसी संशोधन या निरस्तीकरण से उस नियम के तहत पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

5. निरसन और बचाव-

(1) एतद्द्वारा वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980 को प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के उपबंधों के तहत किए गए किसी कार्य अथवा की गई किसी कार्रवाई को इस अधिनियम के तदनुरूपी उपबंधों के तहत किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई माना जाएगा।

*****